डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा०/347/2026 दिनांक : 23/06/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. मुख्य प्रानुशासक, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, आवासीय संस्थान।
4. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय।
   डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : विश्वविद्यालय/संस्थान एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में "प्लास्टिक मुक्त परिसर" एवं स्वच्छता संबंधी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या : 4072/32–जी0एस0/2026 दिनांक 21.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाए रखने के उद्देश्य से गहरी चिंता एवं संवेदनशीलता व्यक्त की है।

वर्तमान समय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने एवं समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो कि निम्नवत् हैः–

1. विश्वविद्यालय/संस्थान एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर प्रशासनिक भवनों, विभागों एवं छात्रावासों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक (जैसे प्लास्टिक बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन आदि) के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए।

2. विश्वविद्यालय/संस्थान एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर में स्थित कैंटीन, छात्रावास एवं कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्तों के बर्तन, जूट या कपड़े के थैले तथा कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

3. नवीन सत्र के प्रारंभ में समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा इस संबंध में परिसर में जागरूकता हेतु बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

4. विश्वविद्यालय/संस्थान एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में गीले (बायो–डिग्रेडेबल) एवं सूखे (नॉन–बायो–डिग्रेडेबल) कचरे के लिए पृथक–पृथक डस्टबिन की व्यवस्था तथा प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

5. उक्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर "प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति (Task Force)" का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण करे।

6. विश्वविद्यालय/संस्थान एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रत्येक सप्ताह एक दिवस (जैसे प्रत्येक शुक्रवार/शनिवार) निर्धारित कर विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाए, जिसमें समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों एवं परिसर की सफाई सुनिश्चित की जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
2. प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति (Task Force)
3. उप कुलसचिव, प्रशासन को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय/संस्थानों में गीले (बायो–डिग्रेडेबल) एवं सूखे (नॉन–बायो–डिग्रेडेबल) कचरे के लिए पृथक–पृथक डस्टबिन की व्यवस्था तथा प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) की समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव